



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

12/9
28/11/97

सं० 379]
No. 379]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 23, 1997/आश्विन 1, 1919
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 23, 1997/ASVINA 1, 1919

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना सं. 10415
नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 1997
(आयकर)

सा. का. नि. 563(अ).—चूंकि आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और आर्थिक अपवंचन की रोकथाम के लिए सल्तनत ओमन की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच हुआ अनुबंधित करार उक्त करार के अनुच्छेद-29 के पैराग्राफ-1 के अनुसार उक्त करार को लागू करने के लिए दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा अपने-अपने कानूनों के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाहियों को पूरा करने के बारे में एक दूसरे के लिए अधिसूचना जारी करने के पश्चात् 3 जून, 1997 को प्रवृत्त हो गया है :

इसलिए अब, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा यह निर्देश देती है कि उक्त करार के सभी उपबंध भारत के सम्पूर्ण क्षेत्र में लागू किए जाएंगे ।

अनुबंध

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए

भारत गणराज्य की सरकार

और

ओमान की सल्तनत के बीच करार

भारत गणराज्य की सरकार और ओमान सल्तनत की सरकार,

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए एक अभिसमय सम्पन्न करने की इच्छा से, नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद-1

वैयक्तिक क्षेत्र

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं ।

(1)

अनुच्छेद-2

करार के अंतर्गत आने वाले कर

1. जिन करों पर यह करार लागू होगा, वे इस प्रकार हैं :—

(क) भारत में :

आयकर, जिसमें उस पर लगने वाला कोई अधिभार भी शामिल है;

(जिसे इसके बाद "भारतीय कर" कहा जाएगा);

(ख) ओमान की सल्तनत में :

(i) कम्पनी आय कर;

(ii) वाणिज्यिक और औद्योगिक संस्थापन पर लाभ कर;

(जिसे इसके बाद "ओमानी कर" कहा जाएगा) ।

2. यह करार किसी भी राज्य अथवा तत्वतः समान करों पर भी लागू होगा जो करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के पश्चात् पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर दोनों में से किसी भी संविदाकारी राज्य में लगाए जाएंगे । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में ऐसे परिवर्तनों की तारीख से एक वर्ष के भीतर एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे जो उनके अपने-अपने करारधान कानूनों में किए गए हों ।

अनुच्छेद-3

सामान्य परिभाषाएं

1. इस करार में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "भारत" पद से अभिप्रेत है भारत का राज्य क्षेत्र और उसमें शामिल है राज्य क्षेत्रीय समुद्र और उसके ऊपर का वायुमण्डलीय क्षेत्र और कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र जिस समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिसमय सहित भारतीय कानून तथा अन्तरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हों;

(ख) "ओमान की सल्तनत" पद से अभिप्रेत है ओमान की सल्तनत का राज्य क्षेत्र और इसके स्वामित्व वाले महाद्वीप जिनमें क्षेत्रीय समुद्र तथा क्षेत्रीय समुद्रों के बाहर का वह क्षेत्र भी शामिल है जिन पर ओमान की सल्तनत समुद्री जल और उसकी उप-भूमि एवं उर्ध्ववर्ती जल के प्राकृतिक संसाधनों के अन्वेषण और दोहन के लिए अपने आंतरिक कानून और अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकारों का प्रयोग कर सकता है;

(ग) "एक संविदाकारी राज्य" तथा "दूसरा संविदाकारी राज्य" पद का अर्थ संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार भारत अथवा ओमान की सल्तनत से है;

(घ) "कम्पनी" पद से ऐसा निगमित निष्काय अथवा कोई भी ऐसी सत्ता अभिप्रेत है जो संबंधित संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त करारधान कानूनों के अंतर्गत एक निगमित निष्काय के रूप में मानी जाती हो;

(ङ) "सक्षम प्राधिकारी" पद से अभिप्रेत है भारत के मामले में केन्द्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि तथा ओमान की सल्तनत के मामले में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मंत्री एवं वित्त मंत्रालय का पर्यवेक्षक अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि;

(च) "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" पदों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है;

(छ) "वित्त वर्ष" पद से अभिप्रेत है :

(i) भारत के मामले में, "पूर्ववर्ती वर्ष" जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है;

(ii) ओमान की सल्तनत के मामले में, "कराधेय वर्ष" जैसा कि कम्पनी आयकर कानून, 1981 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है;

- (ज) "अन्तरराष्ट्रीय यातायात" पद से अभिप्रेत है किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा कोई भी परिवहन जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित हो, सिवाय उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के भीतर स्थित स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो;
- (झ) "राष्ट्रिक" पद से एक संविदाकारी राज्य की राष्ट्रिकता धारण करने वाला कोई व्यक्ति और कोई कानूनी व्यक्ति, भागीदारी अथवा संस्था अभिप्रेत है जिसे अपनी यह हैसियत किसी संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों से प्राप्त होती हो;
- (ञ) "व्यक्ति" पद से कोई व्यक्ति, कोई कम्पनी, व्यक्तियों की कोई संस्था और कोई अन्य सत्ता अभिप्रेत है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में कराधान कानूनों के अंतर्गत एक कराधेय इकाई माना जाता हो;
- (ट) "कर" पद से संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार भारतीय कर अथवा ओमानी कर अभिप्रेत है परन्तु इसमें कोई ऐसी रकम शामिल नहीं होगी जो उन करों के संबंध में किसी भूल या चूक के संबंध में देय है जिनके लिए यह करार लागू होता है अथवा जो इन करों के संबंध में लक्ष्य गए अर्थदण्ड को निरूपित करते हैं ।

2. जहां तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस करार के प्रवर्तन का संबंध है, किसी शब्द का, जो उसमें परिभाषित नहीं हुआ हो, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, तब तक वही अर्थ होगा जो उस राज्य के उन करों से संबंधित कानूनों के अंतर्गत होता है जिन पर यह करार लागू होता है ।

अनुच्छेद-4

निवासी

1. इस करार के प्रयोजनार्थ, "एक संविदाकारी राज्य का निवासी" पद से अभिप्रेत है कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसके अधिवास, निवास, प्रबंध-स्थान, प्रबंध अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य कमीटी के कारण वह पर कर लगाया जा सकता है ।

2. जहाँ पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो वहाँ उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी :

- (क) उसे उस राज्य का निवासी माना जाएगा जहाँ उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, यदि उसे दोनों राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध अधिकतर (महत्वपूर्ण क्रियों का केन्द्र) हैं;
- (ख) यदि उस राज्य का जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निश्चय नहीं किया जा सकता हो अथवा यदि उसका दोनों राज्यों में से किसी भी राज्य में कोई स्थायी निवास गृह उपलब्ध नहीं हो तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो;
- (ग) यदि वह आदतन दोनों ही राज्यों में रहता हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह एक राष्ट्रिक है;
- (घ) यदि वह दोनों संविदाकारी राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे ।

3. जहाँ व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका वास्तविक प्रबंध-स्थान स्थित है ।

अनुच्छेद-5

स्थायी संस्थापन

1. इस करार के प्रयोजनार्थ, "स्थायी संस्थापन" पद से कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है जिसके द्वारा किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः किया जाता है ।

2. "स्थायी संस्थापन" पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल हैं :

- (क) प्रबंध का कोई स्थान;
- (ख) कोई शाखा;
- (ग) कोई कार्यालय;

- (घ) कोई कारखाना;
- (ङ) कोई कार्यशाला;
- (च) कोई खान, तेल अथवा गैस का कोई कुआँ, कोई खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान;
- (छ) कोई भवन-स्थल अथवा निर्माण कार्य अथवा संयोजन परियोजना अथवा इनसे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलाप लेकिन उनको तभी एक स्थायी संस्थापन माना जाएगा यदि ऐसा स्थल, परियोजना अथवा कार्यकलाप 6 माह से अधिक की अवधि के लिए जारी रहते हैं ।
3. इस अनुच्छेद के उपबंधों के होते हुए भी, "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा :
- (क) किसी उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के केवल भण्डारण प्रदर्शन अथवा माल की सुपुर्दगी ही के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का प्रयोग;
- (ख) केवल भण्डारण, प्रदर्शन अथवा सुपुर्दगी के प्रयोजनार्थ ही किसी उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं का कोई स्टॉक रखना;
- (ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ ही उक्त उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं का कोई स्टॉक रखना;
- (घ) किसी उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं का केवल क्रय करने अथवा सूचना एकत्र करने के प्रयोजनार्थ ही कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना;
- (ङ) उद्यम के लिए केवल किसी अन्य आनुवंशिक अथवा सहायक स्वरूप के कार्यकलाप चलाने के प्रयोजनार्थ कारोबार को कोई निश्चित स्थान रखना ।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी जहाँ कोई ऐसा व्यक्ति हो (जो किसी स्वतंत्र हैसियत वाले अधिकर्ता से भिन्न हो, जिस पर पैराग्राफ 3 लागू होता है) और वह किसी उद्यम की ओर से कार्य करता हो और जिसे किसी संविदाकारी राज्य में उक्त उद्यम के नाम पर संविदाएं करने का प्राधिकार प्राप्त हो और वह उस प्राधिकार का आगम तौर पर प्रयोग भी करता हो तो उस राज्य में उक्त उद्यम के लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए किन्हीं भी कार्यकलापों के बारे में उस उद्यम का कोई स्थायी संस्थापन होना माना जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति के कार्यकलाप इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 में उल्लिखित कार्यकलापों तक ही सीमित न हों जिनका यदि किसी निरस्त कारोबार के स्थान पर प्रयोग किया जाए तो इस बात से ही उक्त पैरा के उपबंधों के अधीन यह कारोबार का नियत स्थान एक स्थायी संस्थापन नहीं बन जाएगा ।

5. किसी उद्यम का किसी संविदाकारी राज्य में केवल इस कारण कोई स्थायी संस्थापन होना नहीं माना जाएगा कि वह उस राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमिशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य अधिकर्ता के माध्यम से कारोबार करता है बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपना कारोबार सामान्य रूप से कर रहे हों ।

6. यह तथ्य कि कोई कम्पनी जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी का नियंत्रण करती है अथवा उसके द्वारा नियंत्रित होती है जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य में (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार करती है तो केवल इसी बात से उन दोनों में से कोई भी कम्पनी एक दूसरे की स्थायी संस्थापन नहीं बन जाएगी ।

अनुच्छेद-6

अचल सम्पत्ति से आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति (जिसमें कृषि अथवा वार्षिकी से प्राप्त आय भी शामिल है) से प्राप्त आय पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. "अचल सम्पत्ति" पद का अर्थ वही होगा जो उस संविदाकारी राज्य के कानून के अंतर्गत उसका अर्थ है जिसमें संबंधित सम्पत्ति स्थित है । इस पद में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे ।

अचल सम्पत्ति के अवसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वार्षिकी में प्रयुक्त पशुधन और ठपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भंडार स्रोत तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संचालन के लिए अथवा कार्य करने के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार । जलयान, मौकाएं तथा वायुयान अचल सम्पत्ति नहीं समझे जाएंगे ।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराये पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से होने वाली आय पर लागू होंगे ।

4. पैराग्राफ 1 तथा 3 के उपबंध किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे ।

अनुच्छेद-7 कारोबार से लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार नहीं करता हो। यदि कोई उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उद्यम के लाभों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है किन्तु उसके लाभों के केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो कि प्रत्यक्ष रूप से अथवा परोक्ष रूप से उस स्थायी संस्थापन के कारण प्राप्त हुए हों।

इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए "प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष" शब्दों से अभिप्रेत है जहां कोई स्थायी संस्थापन उद्यम द्वारा की गई संविदाओं पर बातचीत करने, उन्हें मिष्पन्न करने अथवा इन्हें पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेता है, तब इसके होते हुए भी कि उद्यम के दूसरे भागों ने भी उन सौदों में हिस्सा लिया है उन संविदाओं से उद्भूत उद्यम के लाभों का वह अनुपात स्थायी संस्थापन को प्राप्त हुआ नहीं माना जाएगा क्योंकि उन सौदों के लिए स्थायी संस्थापन का अंशदान पूर्णतया उद्यम को वहन करता है।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां तक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में, ऐसे स्थायी संस्थापन के कारण ये लाभ हुए माने जाएंगे जिनके होने की तब अपेक्षा रहती जब वह एक-समान मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक-समान या मिलते-जुलते कार्य-कलापों में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता और उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता जिसका यह एक स्थायी संस्थापन है।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने में उन खर्चों की कटौती की अनुमति दी जाएगी जो स्थायी संस्थापन के प्रयोजनार्थ खर्च किए जाते हैं जिनमें इस प्रकार खर्च किए गए कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल हैं, भले ही यह उस राज्य में किए गए हों जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित हो अथवा अन्यत्र किए गए हों तथा यह उस राज्य के उपबंधों के अनुसार तथा कराधान कानूनों के सीमाओं के अध्वधीन किए गए हों।

4. जहां तक किसी संविदाकारी राज्य में, उद्यम के कुल लाभों को उसके विभिन्न अंगों के प्रति अनुभाजन के आधार पर, किसी स्थायी संस्थापन के कारण माने जाने वाले लाभों को निश्चित करने की प्रथा रही हो, वहां पैराग्राफ 2 की कोई भी व्याख्या उन संविदाकारी राज्यों की ऐसी प्रचलित अनुभाजन पद्धति से कर लगाने वाले लाभों को निश्चित करने से प्रतिबाधित नहीं करेगी, लेकिन अपनाई गई प्रभाजन पद्धति होगी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिद्धांतों के अनुसार होगा।

5. कोई लाभ केवल इस कारण स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के लिए मात्र माल अथवा पण्य-वस्तुओं की खरीद की गई है।

6. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन के कारण हुए समझे जाने वाले लाभों को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा, जब तक कि उसके विपरीत कोई ठोस तथा पर्याप्त कारण नहीं हो।

7. जहां आय की मदों में लाभों की वे मदें शामिल हैं जिनका इस करार के अन्य अनुच्छेदों में विवेचन किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद-8

वायु परिवहन

1. अंतर्राष्ट्रीय यातायात में वायुयानों के संचालन से किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम से उद्भूत लाभों पर केवल किसी उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त व्यवसाय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय परिचालन एजेंसी में भाग लेने से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय यातायात में वायुयानों के संचालन से सीधी संबंधित निधियों पर ब्याज को ऐसे वायुयान के संचालन से प्राप्त लाभों अथवा आय के रूप में माना जाएगा और अनुच्छेद 12 के उपबंध ऐसे ब्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे।

4. "वायुयानों का संचालन" शब्दों का तात्पर्य वायुयानों के मालिकों अथवा पट्टाधारकों अथवा चार्टरों द्वारा वायुयानों द्वारा व्यक्तियों, डाक, पशुधन अथवा माल के हवाई परिवहन का कारोबार है, जिसमें अन्य उद्यमों की ओर से ऐसे परिवहन के लिए टिकटों की बिक्री, वायुयानों का आकस्मिक पट्टा और ऐसे परिवहन में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए अन्य कार्यकलाप शामिल हैं।

5. इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए और अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 1(च) के उपबंधों के होते हुए भी, "किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम" शब्दों का तात्पर्य :

- (i) ओमान की सल्तनत के मामले में, गल्फ एयर और ओमान एविएशन सर्विसिस कंपनी (एस ए ओ जी) तथा ओमान की सल्तनत के किसी निवासी द्वारा चलाया जा रहा कोई अन्य उद्यम है;
- (ii) भारत के मामले में, एयर इंडिया, इंडियन एयर लाइन्स और भारत के किसी निवासी द्वारा चलाया जा रहा कोई अन्य उद्यम है।

अनुच्छेद-9

जहाजरानी

1. अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में जलयानों के संचालन से किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम से उद्भूत लाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा।
2. पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त व्यवसाय अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन एजेंसी में भाग लेने से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे।
3. इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में जलयानों के संचालन से सीधी संबंधित निधियों पर ब्याज को ऐसे जलयानों के संचालन से प्राप्त लाभों अथवा आय के रूप में माना जाएगा और अनुच्छेद 12 के उपबंध ऐसे ब्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे।
4. "जलयानों का संचालन" शब्दों का तात्पर्य जलयानों के मालिकों अथवा पट्टाधारकों अथवा चार्टरों द्वारा जलयानों द्वारा व्यक्तिगत, डाक, पशुधन अथवा माल के समुद्री परिवहन का कारोबार है, जिसमें अन्य उद्यमों की ओर से ऐसे परिवहन के लिए टिकटों की बिक्री सहित जलयानों का आकस्मिक पट्टा और ऐसे परिवहन में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए अन्य कार्यकलाप शामिल हैं।

अनुच्छेद-10

सहयोगी उद्यम

जहां

- (क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंधन, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है; अथवा
- (ख) वे ही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंधन, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं और दोनों में से किसी भी अवस्था में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई जाने वाली शर्तों से भिन्न होती हैं वहां ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से किसी एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, किन्तु उन शर्तों के कारण उस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ हो तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तदनुसार कर लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद-11

लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कंपनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है।
3. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कंपनी एक निवासी है, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता लाभांशों का हितभागी स्वामी है, तो इस प्रकार लगाया गया कर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा :
- (क) यदि हितभागी स्वामी एक कंपनी है जिसका लाभांश अदा करने वाली कंपनी के शेयरों के कम से कम 10 प्रतिशत पर स्वामित्व है तो लाभांश की सकल राशि का 10 प्रतिशत;
- (ख) अन्य सभी मामलों में लाभांशों की सकल राशि का 12-1/2 प्रतिशत है। यह पैराग्राफ ऐसे लाभांशों के मामले में कंपनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें से लाभांश अदा किए जाते हैं।
3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "लाभांश" पद का अर्थ शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है, जो लाभों में भागीदारी के ऋण दावे नहीं हों तथा अन्य ऐसे निगमित अधिकारों से प्राप्त आय से है, जिस पर वही कराधान व्यवस्था लागू होती है जो उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत शेयरों से प्राप्त आय के मामले में लागू होती है जिस राज्य की वितरण करने वाली कंपनी निवासी है।
4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कंपनी निवासी है अथवा

उस दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है और जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध है। ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 16 के उपबंध जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

5. जहां कोई कंपनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहां दूसरा राज्य कंपनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाएगा सिवाय इसके कि जो लाभांश उस दूसरे राज्य के निवासी को अदा किया जाता हो अथवा जहां तक कि उस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है, वह उस राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन या किसी नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है और न ही कंपनी के अतिरिक्त लाभांशों पर, अतिरिक्त लाभ संबंधी कर लगाया जाएगा, भले ही अदा किए गए लाभांश अथवा अतिरिक्त लाभ पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में हों।

अनुच्छेद-12

ब्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा, जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर ब्याज की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी :

(क) एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले ब्याज पर उस राज्य में कर से छूट होगी बशर्ते कि वह निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया जाता है और हितभागी रूप से अपने स्वामित्व में रखा जाता है :

(i) दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण ; अथवा

(ii) दूसरे संविदाकारी राज्य का केन्द्रीय बैंक;

(ख) एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा अनुमोदित सीमा तक उस राज्य में कर से छूट तब प्राप्त होगी जब यह ब्याज उप-पैराग्राफ (क) में उल्लिखित व्यक्ति से भिन्न किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है और हितभागी रूप से अपने स्वामित्व में रखा जाता है जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है बशर्ते कि जिस लेन-देन के कारण ऋण दावा उद्भूत होता है उसे प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा इस संबंध में अनुमोदित किया गया हो।

4. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "ब्याज" शब्द से अभिप्रेत है प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावों से प्राप्त आय, चाहे वे बंधक द्वारा प्रतिभूत हो अथवा नहीं हो और चाहे उन्हें ऋण-दाता के लाभों में भागीदारी को कोई अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं हो और विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंधपत्रों अथवा ऋणपत्रों से प्राप्त आय, जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंधपत्रों अथवा ऋण-पत्रों से संबंधित प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हों। विलम्ब अदायगी के लिए जुर्मानों को इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए ब्याज के रूप में नहीं माना जाएगा।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि ब्याज का हितभागी स्वामी, किसी संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें ब्याज उत्पन्न हुआ हो, वहां स्थित ऐसे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो अथवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता हो और जिस ऋण दावे के बारे में ब्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध हो। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा 16 के उपबंध यथा स्थिति लागू होंगे।

6. ब्याज किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ तभी माना जाएगा, जब ब्याज देने वाला स्वयं वह संविदाकारी राज्य, उस संविदाकारी राज्य का कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा कोई निवासी हो। किन्तु जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं हो, किसी संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन अथवा एक निश्चित स्थान है जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था जिस पर ब्याज की अदायगी की जाती है और इस प्रकार का ब्याज इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है तो इस प्रकार का ब्याज उस राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहां ब्याज अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच एक विशेष संबंध होने के कारण अदा की गई ब्याज की रकम, उस ऋण दावे को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए ब्याज की रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है, जो ऐसा विशेष संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम उल्लिखित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायगी के अतिरिक्त भाग पर, इस करार के अन्य उपबंधों का सम्यक अनुपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद-13

रायल्टियां

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायल्टियों पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. तथापि, इस प्रकार की रायल्टियों पर उस संविदाकारी राज्य में भी जिसमें वे उद्भूत हुई हों और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा लेकिन यदि प्राप्तकर्ता रायल्टियों का हितभागी स्वामी भी है तो इस प्रकार लगाया गया कर रायल्टियों की सकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "रायल्टियां" पद से अभिप्रेत है किसी साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कृति जिसमें सिनेमा-फिल्मों तथा रेडियो अथवा दूरदर्शन प्रसारण के लिए फिल्में अथवा टेपें शामिल हैं, किसी पेटेंट, ट्रेड मार्क, डिजाइन या मॉडल, प्लान, गुप्ता फार्मूला अथवा प्रक्रिया के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु अथवा किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित सूचना के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त की गई किसी भी प्रकार की अदायगियां ।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टियों का हितभागी स्वामी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है और दूसरे संविदाकारी राज्य, जिसमें रायल्टियां उद्भूत होती हैं, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है तथा जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के संबंध में रायल्टियां अदा की जाती हैं, ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से संबंधित हैं । ऐसे मामले में यथा-स्थिति अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 16 के उपबंध लागू होंगे ।

5. एक संविदाकारी राज्य में रायल्टियां तब उद्भूत हुई मानी जाएंगी, जब रायल्टियां अदा करने वाला स्वयं वह संविदाकारी राज्य, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, उसका कोई स्थानीय प्राधिकरण या उस राज्य का कोई निवासी हो । तथापि, जहां रायल्टियां अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, उस संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में रायल्टियां अदा करने की जिम्मेदारी निभाई गई हो और ऐसी रायल्टियां उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हों, तब ऐसी रायल्टियां उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएंगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है ।

6. जहां अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण किसी प्रयोग, अधिकार अथवा सूचना के संबंध में प्रदत्त रायल्टियों की रकम उस रकम से बढ़ जाती है जिस पर इस प्रकार के संबंध की अनुपस्थिति में अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्धित रकम पर ही लागू होंगे । ऐसे मामलों में अदा की रकम के अतिरिक्त भाग पर इस करार के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा ।

अनुच्छेद - 14

तकनीकी फीस

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली तकनीकी फीस, जो दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त होती हो, पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. तथापि, ऐसी तकनीकी फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी जिसमें वे उद्भूत हुई हों और उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा, किन्तु यदि प्राप्तकर्ता तकनीकी फीस का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर तकनीकी फीस की सकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

3. इस अनुच्छेद में तथा प्रयुक्त "तकनीकी फीस" पद में प्रबंधकीय, तकनीकी अथवा परामर्शदात्री स्वरूप की किसी सेवाओं के लिए प्रतिफल के रूप में, अदायगियां करने वाले व्यक्ति के किसी कर्मचारी को की जाने वाली अदायगियों से भिन्न किसी व्यक्ति को की जाने वाली अदायगियां अभिप्रेत है ।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि तकनीकी फीस का हितभागी स्वामी जो एक संविदाकारी राज्य का

निवासी होने के नाते, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जहाँ पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है जिसमें तकनीकी फीस उद्भूत होती है अथवा उस दूसरे से संविदाकारी राज्य में स्थित किसी नियत स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है और तकनीकी फीस ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा नियत स्थान के साथ प्रभावी रूप से संबंधित है तो ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 16 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

5. एक संविदाकारी राज्य में तकनीकी फीस तभी उद्भूत हुई मानी जाएगी जब तकनीकी फीस अदा करने वाला स्वयं वह संविदाकारी राज्य, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस संविदाकारी राज्य का कोई निवासी हो। तथापि, जहाँ तकनीकी फीस अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा नहीं, उस संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा नियत स्थान हो जिसके संबंध में तकनीकी फीस अदा करने की जिम्मेदारी निर्भाई गई हो और ऐसी तकनीकी फीस ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा नियत स्थान से वहन की जाती है, तब तकनीकी फीस उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें स्थायी संस्थापन अथवा नियत स्थान स्थित है।

6. जहाँ अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच एक विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण किसी भी कारण से प्रदत्त तकनीकी फीस की राशि उस राशि से बढ़ जाती है जिस पर इस प्रकार के संबंध की अनुपस्थिति में अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहाँ इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर ही लागू होंगे। ऐसे मामले में अदा की गई रकम के अतिरिक्त भाग पर इस करार के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद - 15

पूंजीगत अभिलाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. ऐसी चल सम्पत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभों पर, जो एक संविदाकारी राज्य किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारबार सम्पत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल सम्पत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभों पर जो सम्पत्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले अभिलाभ भी शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

3. अंतरराष्ट्रीय यातायात में खलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों अथवा इस प्रकार के जलयानों अथवा वायुयानों अथवा दोनों के परिचालन से संबंधित चल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अंतरणकर्ता एक निवासी है।

4. किसी ऐसी कंपनी के पूंजीगत स्टॉक के शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर जिसकी सम्पत्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सिद्धांततः किसी संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति हो, उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

5. किसी ऐसी कंपनी के, पैराग्राफ 4 में उल्लिखित शेयरों से भिन्न, शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर, जो कि एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, उस संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा।

6. पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 और 5 में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न किसी भी सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अंतरणकर्ता एक निवासी है।

अनुच्छेद - 16

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं अथवा स्वतंत्र स्वरूप वाले इसी प्रकार के अन्य कार्यकलापों से प्राप्त आय, भिन्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर, जिनमें जब ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा, केवल उस संविदाकारी राज्य में कराधेय होगी :

- (क) यदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है, तो उस मामले में, उस दूसरे राज्य में केवल उतनी आय पर कर लगाया जा सकेगा, जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है; अथवा
- (ख) यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके ठहरने की अवधि अथवा अवधियां संगत वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर 183 दिनों अथवा उससे अधिक हों, तो उस मामले में आय के केवल उतने ही भाग पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा जो उस

दूसरे राज्य में उसके द्वारा निष्पादित कार्यकलापों से प्राप्त होती हो ।

2. "व्यावसायिक सेवाएं" पद में स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सकों, शल्य-चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, दंत-चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप भी शामिल हैं ।

अनुच्छेद - 17

परावलम्बित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 18, 19, 20, 21, 22 और 23 के उपबंधों के रहते हुए किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगेगा, जब तक कि नियोजन का दूसरे संविदाकारी राज्य में प्रयोग न किया जाए । यदि नियोजन का इस प्रकार प्रयोग किया गया है तो जो पारिश्रमिक वहां से प्राप्त होता है, उस पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है ।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में प्रयोग किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि :—

- (क) यदि प्राप्तकर्ता संबंधित वित्तीय वर्ष में ऐसी अवधि अथवा अवधियों के लिए दूसरे राज्य में रहा है जो कुल मिलाकर 183 दिनों से अधिक नहीं है;
- (ख) पारिश्रमिक ऐसे नियोजक अथवा उसकी ओर से चुकाया गया हो, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी न हो; और
- (ग) पारिश्रमिक जो ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा मिश्रित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है जो नियोजक का दूसरे संविदाकारी राज्य में हो ।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अंतरराष्ट्रीय यातायात में संचालित किसी पोत अथवा वायुयान पर सवार होकर किए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा । वायुयान के मामले में, "एक संविदाकारी राज्य के उद्यम" पद का अर्थ वही होगा जो इस कर के अनुच्छेद 8 के पैराग्राफ 5 में परिभाषित है ।

अनुच्छेद - 18

निदेशकों की फीस

निदेशकों की फीस तथा इसी तरह की अन्य अदायगियां जो किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी कंपनी, जो अन्य संविदाकारी राज्य की निवासी है, के निदेशक मंडल के सदस्य की हैसियत से प्राप्त की गई हों, उन पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

अनुच्छेद - 19

मनोरंजनकर्ताओं और खिलाड़ियों द्वारा अर्जित आय

1. अनुच्छेद 16 और 17 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता जैसे कि कोई थियेटर, चलचित्र, रेडियो या दूरदर्शन कलाकार या किसी संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के उसके वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपनी इस प्रकार की हैसियत से किए गए वैयक्तिक कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, वहां उस आय पर अनुच्छेद 7, 16 और 17 के उपबंधों के होते हुए भी, उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी के कार्यकलाप किए जाते हैं ।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा, जो किसी संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए उसके वैयक्तिक कार्यकलापों से अर्जित आय पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जाएगा, यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उक्त कार्यकलापों का प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य की सार्वजनिक निधियों से जिसमें उसके राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल हैं, पूर्णतः अथवा पर्याप्त रूप से संभरण किया जाता हो ।

4. पैराग्राफ 2 और अनुच्छेद 7, 16 और 17 के उपबंधों के होते हुए भी जहां किसी मनोरंजनकर्ता या किसी खिलाड़ी द्वारा उसकी इस हैसियत से किसी संविदाकारी राज्य में किए गए वैयक्तिक कार्यकलापों के बारे में आय स्वयं मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को न प्राप्त हो बल्कि किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती हो तो उस आय पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में ही कर लग सकेगा यदि वह दूसरा व्यक्ति उस दूसरे संविदाकारी राज्य, जिसमें उसके

प्राप्त होती हो तो उस आय पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में ही कर लग सकेगा यदि वह दूसरा व्यक्ति उस दूसरे संविदाकारी राज्य, जिसमें उसके राजनैतिक उप-प्रभाग और स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल हैं, की सार्वजनिक निधियों से पूर्णतः अथवा पर्याप्त रूप से संभरित होता हो।

अनुच्छेद - 20

सरकारी सेवा के संबंध में पारिश्रमिक और पेंशन

1. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उस संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के संबंध में की गई सेवाओं के लिए किसी व्यक्ति को अदा की गई पेंशन से भिन्न पारिश्रमिक पर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कर लगेगा।
- (ख) तथापि, ऐसे पारिश्रमिक पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लगेगा, यदि सेवाएं उस दूसरे संविदाकारी राज्य में की जाती हों और व्यक्ति उस संविदाकारी राज्य का एक निवासी हो, जो :—
 - (i) उस दूसरे संविदाकारी राज्य का एक राष्ट्रिक हो; अथवा
 - (ii) मात्र सेवाएं करने के प्रयोजन से उस दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी नहीं बना हो।
2. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सृजित निधियों द्वारा अथवा उसमें से उस संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में किसी व्यक्ति को अदा की गई पेंशन पर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कर लगेगा।
- (ख) तथापि, ऐसी पेंशन पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर तभी लगेगा, यदि उक्त व्यक्ति उस दूसरे संविदाकारी राज्य का एक निवासी तथा राष्ट्रिक हो।

3. अनुच्छेद 17, 18 और 21 के उपबंध, किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे किसी कारबार के सिलसिले में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक तथा पेंशनों पर लागू होंगे।

अनुच्छेद - 21

गैर सरकारी पेंशन और वार्षिकियां

1. अनुच्छेद 20 में उल्लिखित पेंशन से भिन्न कोई पेंशन अथवा कोई वार्षिकी जो एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के स्रोतों से प्राप्त होती हो, पर केवल प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा।
2. "पेंशन" पद का अर्थ है पिछली सेवाओं के प्रतिफल के संबंध में अथवा ऐसी सेवाएं देने के दौरान लगी चोट हेतु क्षतिपूर्ति के माध्यम से की जाने वाली आवधिक अदायगी से है।
3. "वार्षिकी" पद का अर्थ उस नियत राशि से है जो धन अथवा धन के मूल्य में पर्याप्त तथा पूरे प्रतिफल के लिए अदायगियां करने के किसी दायित्व के अधीन जीवन-पर्यन्त अथवा किसी विनिर्दिष्ट या निश्चित समयावधि के दौरान नियत अवधि पर समय-समय पर देय हो।

अनुच्छेद - 22

विद्यार्थियों और प्रशिक्षुओं द्वारा प्राप्त अदायगियां

1. एक विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु जो एक संविदाकारी राज्य का दौरा करने से तत्काल पूर्व किसी संविदाकारी राज्य का निवासी है, अथवा था और जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य में मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के लिए मौजूद रहता है उसे उस दूसरे संविदाकारी राज्य में निम्नलिखित पर कर से छूट दी जाएगी :
 - (क) उस दूसरे संविदाकारी राज्य से बाहर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा उसके भरण-पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के लिए की गई अदायगियां; अथवा
 - (ख) उस दूसरे संविदाकारी राज्य में रोजगार से प्राप्त पारिश्रमिक जो किसी वित्तीय वर्ष के दौरान 2000 अमरीकी डालर अथवा इसके समतुल्य रकम से अधिक न हो बशर्ते कि ऐसा रोजगार उसकी शिक्षा से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो अथवा रोजगार उसके भरण-पोषण के उद्देश्य हेतु किया गया है।
2. इस अनुच्छेद के लाभ केवल उस समयावधि तक होंगे जो ली जा रही शिक्षा अथवा प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए तार्किक अथवा प्रयागत

अपेक्षित हो, किन्तु किसी भी स्थिति में कोई व्यक्ति इस अनुच्छेद का लाभ उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके प्रथम आगमन की तारीख से लेकर लगातार तीन वर्षों से अधिक की अवधि के लिए नहीं उठा सकेगा।

अनुच्छेद - 23

प्रोफेसरोँ, अध्यापकोँ और शोध अध्यापकोँ के द्वारा प्राप्त की गई अदायगियाँ

1. किसी प्रोफेसर अथवा अध्यापक को, जो दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय अथवा किसी अन्य अनुमोदित संस्था में शिक्षण अथवा शोध कार्य अथवा दोनों कार्यों के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने के तत्काल पूर्व दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य का निवासी है अथवा था उसके उक्त दूसरे राज्य में पहुंचने की तारीख से दो वर्षों से अधिक की अवधि के लिए ऐसे अध्यापन अथवा शोध कार्य के लिए प्राप्त किसी पारिश्रमिक पर उक्त दूसरे संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी।

2. यह अनुच्छेद ऐसे शोध कार्य से प्राप्त आय पर लागू नहीं होगा यदि ऐसा शोध कार्य मूलतः किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया गया हो।

3. इस अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 22 के प्रयोजनार्थ, किसी व्यक्ति को एक संविदाकारी राज्य का निवासी समझा जाएगा यदि वह वित्तीय वर्ष में उस संविदाकारी राज्य का निवासी है जिसमें वह दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता है अथवा वित्तीय वर्ष से तत्काल पूर्व दौरा करता है।

4. पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ "अनुमोदित संस्थान" से अभिप्राय ऐसे संस्थान से है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अनुमोदित किया गया हो।

अनुच्छेद - 24

अन्य आय

1. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदें, जहां-कहीं वे उद्भूत होती हैं और जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में स्पष्ट रूप से विचार नहीं किया गया है, केवल उस संविदाकारी राज्य में कराधेय होगी।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा-परिभाषित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा ऐसी अधिकार अथवा सम्पत्ति जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की जाती है, ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसे मामले में अनुच्छेद, 7 अथवा अनुच्छेद 16 के उपबंध, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदों पर भी, जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है तथा जो दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्भूत होती हैं, उस दूसरे राज्य में भी कर लगेगा।

अनुच्छेद - 25

दोहरे कराधान का परिहार

1. दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी राज्य में प्रवृत्त कानून संबंधित राज्यों में आय के कराधान मामलों को अधिशासित करते रहेंगे सिवाय उन मामलों के जहां इस करार में उनके विपरीत प्रावधान किए जाएं।

2. जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार ओमान की सल्तनत में कर लगाया जा सकता है वहां भारत चाहे प्रत्यक्ष रूप से अथवा कटौती के द्वारा उस निवासी की आय पर ओमान की सल्तनत में अदा की गई आयकर की रकम के बराबर की रकम पर कर से कटौती की अनुमति देगा। तथापि, ऐसी कटौती आयकर के उतने भाग पर कर (जिसकी संगणना कटौती की अनुमति दिए जाने से पूर्व की गई हो) के उस भाग से अधिक नहीं होगी जो उस आय के कारण हो जिस पर ओमान की सल्तनत में कर लगाया जा सकता है।

3. जहां ओमान की सल्तनत के किसी निवासी को इस करार के उपबंधों के अनुसार आय मिलती है जिस पर भारत में कर लगाया जा सके, वहां ओमान की सल्तनत इस निवासी की आय पर भारत में अदा किए आयकर के बराबर की राशि की कटौती की अनुमति देगा चाहे प्रत्यक्ष रूप से अथवा कटौती द्वारा। तथापि, ऐसी कटौती (कटौती किए जाने से पूर्व संगणित) आयकर के उस भाग से अधिक नहीं होगी जो उस आय के कारण हो जिस पर भारत में कर लगाया जा सके।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 और 3 में उल्लिखित संविदाकारी राज्य में देय कर में वह कर शामिल समझा जाएगा जो कि देय होता, परन्तु संविदाकारी राज्य के कानूनों के तहत प्रदान किए गए और आर्थिक विकास के संवर्द्धन के लिए प्रोत्साहनों के कारण देय नहीं है।

5. ऐसी आय, जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार किसी संविदाकारी राज्य में कर नहीं लगाया जाता, उसे उस संविदाकारी राज्य में लगाए जाने वाले कर की दर की गणना करने के लिए शामिल किया जा सकता है।

अनुच्छेद - 26

पारस्परिक करार विधि

1. जहां किसी संविदाकारी राज्य का कोई व्यक्ति यह समझता है कि दोनों संविदाकारी राज्यों में किसी एक अथवा दोनों राज्यों की कार्यवाहियों के कारण उस पर जो कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा वह इस करार के अनुरूप नहीं है, तो वह उन राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों द्वारा उपबंधित उपायों के होते हुए भी अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के पास प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक निवासी है। यह मामला उस कार्यवाही की प्रथम सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप उस पर कर लगाया जाता है जो करार के उपबंधों के अनुरूप नहीं है।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी उचित हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के निवारण की दृष्टि से, जो इस करार के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार किए गए किसी भी करार को कार्यान्वित किया जाएगा चाहे संविदाकारी राज्यों के आन्तरिक कानूनों में कोई भी समय-सीमा निर्धारित क्यों न हो।

3. इस करार की व्याख्या करने में अथवा इसे लागू करने में कोई कठिनाइयां अथवा शंकाएं उत्पन्न होने पर संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। वे उन मामलों में भी दोहरे कराधान के अपाकरण के लिए परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं जिनकी इस करार में व्यवस्था नहीं की गई है।

4. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के अभिप्राय से किसी समझौते पर पहुंचने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ सीधे सम्पर्क कर सकते हैं। यदि किसी समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से मौखिक विचारों का आदान-प्रदान करना उपयुक्त प्रतीत हो तो ऐसे आदान-प्रदान संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों के किसी आयोग के माध्यम से किए जा सकते हैं।

अनुच्छेद - 27

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो इस करार के उपबंधों को अथवा संविदाकारी राज्यों के उन करों से संबंधित स्वदेशी कानूनों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हैं, जो इस करार के अन्तर्गत आते हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था करार के प्रतिकूल नहीं हो ताकि विशेष रूप से ऐसे करों की आलसाजी अथवा अपवंचन को रोका जा सके। किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जिस प्रकार उस संविदाकारी राज्य के स्वदेशी कानूनों के अन्तर्गत प्राप्त की गई सूचना मानी जाती है। लेकिन यदि सूचना भेजने वाले राज्य में सूचना की मूलतः गुप्त समझा जाता है तो उसे केवल ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिसमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय भी शामिल है, को प्रकट किया जाएगा जो उन करों का निर्धारण अथवा उनकी समूची करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा उनसे संबंधित आपत्तियों एवं अपीलों का निर्धारण करने में सम्बद्ध हों, जो इस करार के विषय हैं। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए ही करेंगे, परन्तु वे सूचना को न्यायिक निर्णयों में सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों में प्रकट कर सकेंगे। सक्षम प्राधिकारी विचार-विमर्श के माध्यम से उन मामलों से संबंधित समुचित शर्तों, पद्धतियों और तकनीकों को विकसित करेंगे जिनके बारे में सूचना का ऐसा आदान-प्रदान किया जाएगा जिनमें जहां-कहीं उपयुक्त हो, कर अपवंचन के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान भी शामिल है।

2. सूचना अथवा दस्तावेजों का आदान-प्रदान या तो नेमी आधार पर अथवा मामले विशेष के संदर्भ में अनुरोध करने पर अथवा दोनों स्थितियों में किया जा सकेगा। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी सूचना अथवा दस्तावेजों की सूची पर समय-समय पर करार जिमे नेमी आधार पर मुहैया कराया जाएगा।

3. किसी भी स्थिति में, पैराग्राफ 1 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :

- (क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना ;
- (ख) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेजों की सफाई करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्त नहीं है ;
- (ग) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेजों की सफाई करना जिसे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वृषिक संबंधी गुप्त भेद अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो जिसे प्रकट करना सरकार की नीति के प्रतिकूल हो।

अनुच्छेद - 28

राजनयिक और कौंसुली अधिकारी

इस करार की किसी भी बात से अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत राजनयिक अथवा कौंसुली अधिकारियों के वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद - 29

प्रवृत्त होना

1. दोनों संविदाकारी राष्ट्रों में से प्रत्येक राष्ट्र इस करार को लागू करने के लिए अपनी विधि के अंतर्गत अपेक्षित कार्यविधियों के पूरा किए जाने के बारे में दूसरे राष्ट्र को अधिसूचित करेगा। यह करार इन अधिसूचनाओं में से बाद में जारी की गई अधिसूचना की तारीख से लागू होगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित रूप से प्रभावी होगा :

- (क) भारत में, जिस कैलेण्डर वर्ष में बाद वाली अधिसूचना दी जाती है उसके अनुवर्ती वर्ष की पहली अप्रैल को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में उद्भूत आय के संबंध में ;
- (ख) ओमान सल्तनत में, जिस कैलेण्डर वर्ष में बाद वाली अधिसूचना दी जाती है उसके तत्काल अनुवर्ती वर्ष की पहली जनवरी को या उसके बाद उद्भूत होने वाली आय के संबंध में।

2. आय पर दोहरे कराधान के परिहार के लिए भारत सरकार और ओमान सल्तनत की सरकार के बीच करार, जो कि अन्तरराष्ट्रीय यातायात से व्युत्पन्न किया गया है, जिस पर 23 अक्टूबर, 1984 में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे और उस करार के अंतर्गत प्रदान की गई छूट उस तारीख से प्रभावी नहीं होगी जिस तारीख से यह करार प्रवृत्त होगा।

अनुच्छेद - 30

समापन

यह करार अनिश्चित समय तक लागू रहेगा परन्तु दोनों में से कोई भी एक संविदाकारी राष्ट्र इस करार के लागू होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी कैलेण्डर वर्ष के जून मास की 30 तारीख को अथवा उसके पूर्व राजनयिक माध्यमों से दूसरे संविदाकारी राष्ट्र को करार के समापन की लिखित सूचना दे सकता है तथा ऐसी परिस्थितियों में यह करार निम्नलिखित के संबंध में निष्प्रभावी हो जाएगा :—

- (क) भारत में, जिस कैलेण्डर वर्ष वाली अधिसूचना दी जाती है उसके अनुवर्ती वर्ष की पहली अप्रैल को अथवा उसके पश्चात् होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में ;
- (ख) ओमान की सल्तनत में, जिस कैलेण्डर वर्ष में समापन की सूचना दी गई है उसके तत्काल अनुवर्ती वर्ष की पहली जनवरी को अथवा उसके उद्भूत होने वाली आय के संबंध में।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत् रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने वर्तमान करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में वर्ष एक हजार नौ सत्तानबे के अप्रैल माह के दूसरे दिन हिन्दी, अरबी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निम्न किया गया तथा इसके सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को प्रामाणिक माना जाएगा।

भारत गणराज्य की सरकार

ओमान सल्तनत की सरकार

की ओर से

की ओर से

ह./-

ह./-

ड. कु. गुजराल

प्रोतोकोल

अपठनीय

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य और ओमान की सल्तनत के बीच करार पर हस्ताक्षर करते समय दोनों पक्ष निम्नलिखित उपबंधों पर सहमत हुए हैं, जो कि करार के अनिवार्य अंग होंगे :

“अनुच्छेद 8 में उल्लिखित लाभों के संबंध में यदि भारत के किसी वायु परिवहन उद्यम पर गल्फ एयर के शेयर धारक राष्ट्रों में से किसी भी एक में, अनुच्छेद 2 में उल्लिखित कर में से किसी भी प्रकार का कर लगाया जाता है तो संविदाकारी राष्ट्र बिना किसी

विलम्ब के पुनः धातवीत करेंगे ताकि करार के अनुच्छेद 8 को लागू करने के संबंध में किसी उपयुक्त समाधान पर पहुँचा जा सके ।''।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत् रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोताकोल पर हस्ताक्षर किए हैं ।

नई दिल्ली में वर्ष एक हजार नौ सत्तानवे के अप्रैल माह के दूसरे दिन हिन्दी, अरबी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया तथा इसके सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को प्रामाणिक माना जाएगा ।

भारत गणराज्य की सरकार

ओमान सल्तनत की सरकार

की ओर से

की ओर से

ह./-

ह./-

इ. कु. गुजराल

अपठनीय

[फा. सं. 501/6/91-एफ टी डी]

एन. पी. साहनी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION NO. 10415

New Delhi, the 23rd September, 1997

INCOME-TAX

G.S.R. 563(E).—Whereas the annexed agreement between the Government of the Sultanate of Oman and the Government of the Republic of India for the avoidance of Double Taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income has entered into force on the 3rd June, 1997 after the notification by both the Contracting States to each other of the completion of the proceedings required by their laws for bringing into force of the said agreement in accordance with paragraph 1 of Article 29 of the said agreement;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said agreement shall be given effect to throughout the territory of India.

ANNEX

AGREEMENT

BETWEEN

THE REPUBLIC OF INDIA

AND

THE SULTANATE OF OMAN

FOR

THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION

AND

THE PREVENTION OF FISCAL EVASION

WITH RESPECT TO

TAXES ON INCOME

The Government of the Republic of India and the Government of the Sultrate Oman.

DESIRING to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income;

- sovereign rights, other rights and jurisdictions, according to the Indian Law and in accordance with international law and the U.N. Convention on the Law of the Sea;
- (b) the term 'the Sultanate of Oman' means the territory of the Sultanate of Oman and the islands belonging thereto, including the territorial waters and any area outside the territorial waters over which the Sultanate of Oman may, in accordance with international law, exercise sovereign rights with respect to the exploration and exploitation of the natural resources of the sea bed and the sub-soil and the above-lying waters.
- (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean India or the Sultanate of Oman as the context requires;
- (d) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a company or body corporate under the taxation laws in force in the respective Contracting States;
- (e) the term "competent authority" means in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representative; and in the case of Sultanate of Oman, the Minister of National Economy and Supervisor of Ministry of Finance or his authorised representative;
- (f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- (g) the term 'fiscal year' means:
- (i) in the case of India, 'previous year' as defined under section 3 of the Income-tax Act, 1961;
- (ii) in the case of the Sultanate of Oman, 'taxable year' as defined in the Company Income Tax Law, 1981;
- (h) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

- (i) the term "national" means any individual possessing the nationality of a Contracting State, and any legal person, partnership or association deriving its status from the laws in force in the Contracting State;
- (j) the term "person" includes an individual, a company, a body of persons and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States;
- (k) the term "tax" means Indian tax or Omani tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Agreement applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes.

2. As regards the application of this Agreement by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that Contracting State concerning the taxes to which this Agreement applies.

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that Contracting State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1, an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

- (a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
- (b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

- (c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;
- (d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially:

- (a) a place of management;
- (b) a branch;
- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop;
- (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;
- (g) a building site or construction or assembly project or supervisory activities in connection therewith; but only where such site, project or activity continues for a period of more than 6 months.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise

belonging to the enterprise;

- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any activity of a preparatory or auxiliary character.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person (other than an agent of independent status to whom paragraph 5 applies) is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 3 of this Article which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

5. An enterprise of a Contracting state shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6**INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY**

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7**BUSINESS PROFITS**

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other Contracting State but only so much of them as is attributable directly or indirectly to that permanent establishment.

The words "directly or indirectly" mean, for the purposes of this Article, that where a permanent establishment takes an active part in negotiating, concluding or fulfilling contracts entered into by the enterprise, then notwithstanding that other parts of the

enterprise have also participated in those transactions, there shall be attributed to the permanent establishment that proportion of profits of the enterprise arising out of those contracts as the contribution of the permanent establishment to those transactions bears to that of the enterprise as a whole.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere in accordance with the provisions of and subject to the limitations of the tax laws of that State.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reasons of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

AIR TRANSPORT

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in that Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

3. For the purposes of this Article, interest on funds directly connected with the operation of aircraft in international traffic shall be regarded as income or profits derived from the operation of such aircraft, and the provisions of Article 12 shall not apply in relation to such interest.

4. The term "operation of aircraft" means business of transportation by air of passengers, mail, livestock or goods carried on by the owners or lessees or charterers of aircraft, including the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises, the incidental lease of aircraft and any other activity directly connected with such transportation.

5. For the purposes of this Article and notwithstanding the provisions of paragraph 1(f) of Article 3, the term "enterprise of a Contracting State" means:

- (i) in case of Sultanate of Oman, Gulf Air, Oman Aviation Services Company (SAOG) and any other enterprise carried on by a resident of the Sultanate of Oman;
- (ii) in case of India, Air India, Indian Airlines and any other enterprise carried on by a resident of India.

Article 9

SHIPPING

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships in international traffic shall be taxable only in that Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

3. For the purposes of this Article, interest on funds directly connected with the operation of ships in international traffic shall be regarded as income or profits from the operation of such ships and the provisions of Article 12 shall not apply in relation to such interest.

4. The term "operation of ships" means business of transportation by sea of passengers, mail, livestock or goods carried on by the owners or lessees or charterers of ships, including the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises, the incidental lease of ships and any other activity directly connected with such transportation.

Article 10

ASSOCIATED ENTERPRISES

Whereas:

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case, conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 11

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is resident of a

Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of the State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends, the tax so charged shall not exceed:

- (a) 10 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which owns at least 10 per cent of the shares of the company paying the dividends;
- (b) $12\frac{1}{2}$ per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 16, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other Contracting State may not impose any tax on the dividends paid by the company except insofar as such dividends are paid to a resident of that other Contracting State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other Contracting State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the

undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other Contracting State.

Article 12

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2,

(a) interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State provided it is derived and beneficially owned by:

(i) the Government, a political subdivision or a local authority of the other Contracting State; or

(ii) the Central Bank of the other Contracting State;

(b) interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that Contracting State to the extent approved by the Government of that Contracting State if it is derived and beneficially owned by any person other than a person referred to in sub-paragraph (a) who is resident of the other Contracting State provided that the transaction giving rise to the debt-claim has been approved in this regard by the Government of the first-mentioned Contracting State.

4. The term 'interest' as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a

resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 16, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that Contracting State. However, where the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in that Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. However, such royalties may also be taxed in that Contracting State in which they arise and according to the laws of that Contracting State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the royalties.

3. The term "royalties" as used in this Article means

payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, including cinematograph films, or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 16, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State where the payer is that Contracting State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that Contracting State. However, where the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in that Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then the royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where by reason of special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 14

TECHNICAL FEES

1. Technical fees arising in a Contracting State which are derived by a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.
2. However, such technical fees may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that Contracting State; but if the recipient is the beneficial owner of the technical fees, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the technical fees.
3. The term "technical fees" as used in this Article means payments of any kind to any person, other than to an employee of the person making the payments, in consideration for any services of a technical, managerial or consultancy nature.
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the technical fees, being a resident of a Contracting State carries on business in the other Contracting State in which the technical fees arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein and the technical fees are effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 16, as the case may be, shall apply.
5. Technical fees shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political subdivision, a local authority, or a resident of that Contracting State. However where the person paying the technical fees, whether he is a resident of that Contracting State or not, has in that Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the technical fees was incurred, and such technical fees are borne by such permanent establishment or fixed base then the technical fees shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the technical fees paid exceeds, for whatever reason, the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of the

Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 15

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6, and situated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.
2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other Contracting State.
3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft or both shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.
4. Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that Contracting State.
5. Gains from the alienation of shares other than those mentioned in paragraph 4 in a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that Contracting State.
6. Gains from the alienation of any property other than that mentioned in paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 16

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that Contracting State except in the following circumstances when such income may also be taxed in the other Contracting State:

- (a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State; or
- (b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in the relevant fiscal year; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.

2. The term "professional services" include independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities, as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 17

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 18, 19, 20, 21, 22 and 23, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that Contracting State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other Contracting State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first mentioned Contracting State if:

- (a) the recipient is present in the other Contracting State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the relevant fiscal year, and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of an employer who is not a resident of the other Contracting State, and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other Contracting State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State. In case of aircraft, the term "enterprise of a Contracting State" shall have the same meaning as defined in paragraph 5 of Article 8 of this Agreement.

Article 18

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

Article 19

INCOME EARNED BY ENTERTAINERS AND SPORTSPERSONS

1. Notwithstanding the provisions of Articles 16 and 17, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician or as a sportsperson, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other Contracting State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsperson himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 16 and 17, be

taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, income derived by an entertainer or a sportsman who is a resident of a Contracting State from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State, if the activities in the other Contracting State are supported wholly or substantially from the public funds of the first-mentioned Contracting State, including any of its political subdivisions or local authorities.

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 and Articles 7, 16 and 17, where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such in a Contracting State accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income shall be taxable only in the other Contracting State, if that other person is supported wholly or substantially from the public funds of that other Contracting State, including any of its political subdivisions or local authorities.

Article 20

REMUNERATION AND PENSIONS IN RESPECT OF GOVERNMENT SERVICE

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that Contracting State or subdivision or authority shall be taxable only in that Contracting State.
- (b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other Contracting State and the individual is a resident of that Contracting State who:
 - (i) is a national of that other Contracting State; or
 - (ii) did not become a resident of that other Contracting State solely for the purpose of rendering the services.
2. (a) Any pension paid by, or out of funds created by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that Contracting State or

- subdivision or authority shall be taxable only in that Contracting State.
- (b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of that other Contracting State.
3. The provisions of Articles 17, 18 and 21 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

Article 21

NON-GOVERNMENT PENSIONS AND ANNUITIES

1. Any pension, other than a pension referred to in Article 20, or any annuity derived by a resident of a Contracting State from sources within the other Contracting State may be taxed only in the first mentioned Contracting State.
2. The term "pension" means a periodic payment made in consideration of past services or by way of compensation for injuries received in the course of performance of services.
3. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

Article 22

PAYMENTS RECEIVED BY STUDENTS AND APPRENTICES

1. A student or business apprentice who is or was a resident of a Contracting State immediately before visiting the other Contracting State and who is present in that other Contracting State solely for the purpose of his education or training, shall be exempt from tax in that other Contracting State on:
- (a) payments made to him by persons residing outside that other Contracting State for the purposes of his maintenance, education or training; or

(b) remuneration from employment in that other Contracting State, in an amount not exceeding US dollars 2000 or its equivalent amount during any fiscal year, provided that such employment is directly related to his studies or is undertaken for the purpose of his maintenance.

2. The benefits of this Article shall extend only for such period of time as may be reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken, but in no event shall any individual have the benefits of this Article for more than three consecutive years from the date of his first arrival in that other Contracting State.

Article 23

PAYMENTS RECEIVED BY PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCH SCHOLARS

1. A professor or teacher who is or was a resident of a Contracting State immediately before visiting the other Contracting State for the purpose of teaching or engaging in research, or both, at a university, college, school or other approved institution in that other Contracting State shall be exempt from tax in that other Contracting State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his arrival in that other Contracting State.

2. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

3. For the purposes of this Article and Article 22, an individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is resident in that Contracting State in the fiscal year, in which he visits the other Contracting State or in the immediately preceding fiscal year.

4. For the purposes of paragraph 1, "approved institution" means an institution which has been approved in this regard by the competent authority of the concerned Contracting State.

Article 24**OTHER INCOME**

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of this Article, items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, which are not expressly dealt with in the foregoing Articles of this Agreement, shall be taxable only in that Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right of property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or 16, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement and arising in the other Contracting State may also be taxed in that other State.

Article 25**AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION**

1. The laws in force in either of the Contracting States will continue to govern the taxation of income in the respective Contracting States except where provisions to the contrary are made in this Agreement.

2. Where a resident of India derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in the Sultanate of Oman, India shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in the Sultanate of Oman, whether directly or by deduction. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax (as computed before the deduction is given) which is attributable to the income which may be taxed in the Sultanate of Oman.

3. Where a resident of the Sultanate of Oman derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in India, the Sultanate of Oman shall allow as a deduction from the tax on the Income of the resident an amount equal to the income tax paid in India, whether directly or by deduction. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax (as computed before the deduction is given) which is attributable to the income which may be taxed in India.

4. The tax payable in a Contracting State mentioned in paragraph 2 and paragraph 3 of this Article shall be deemed to include the tax which would have been payable but for the tax incentives granted under the laws of the Contracting State and which are designed to promote economic development.

5. Income which, in accordance with the provisions of this Agreement, is not to be subjected to tax in a Contracting State, may be taken into account for calculating the rate of tax to be imposed in that Contracting State.

Article 26

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Agreement, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. This case must be presented within three years of the date of receipt of notice of the action which gives rise to taxation not in accordance with the Agreement.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic laws of the Contracting State.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of this Agreement. They may also consult

together for the elimination of double taxation in cases not provided for in this Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 27

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents) as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Agreement, insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Agreement, in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that Contracting State. However, if the information is originally regarded as secret in the transmitting State, it shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of objections and appeals in relation to the taxes which are the subject of this Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes but may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The competent authorities shall, through consultation, develop appropriate conditions, methods and techniques concerning the matters in respect of which such exchange of information shall be made, including, where appropriate, exchange of information regarding tax avoidance.

2. The exchange of information or documents shall be either on a routine basis or on request with reference to particular cases or both. The competent authorities of the Contracting States shall agree from time to time on the list of the information or documents which shall be furnished on a routine basis.

3. In no case shall the provisions of paragraph 1 be

construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information or documents which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information or documents which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information, the disclosure of which would be contrary to public policy.

Article 28

DIPLOMATIC AND CONSULAR ACTIVITIES

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 29

ENTRY INTO FORCE

1. Each of the Contracting State shall notify to the other the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the date of the latter of these notifications and shall thereupon have effect:
 - (a) in India, in respect of income arising in any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the latter of the notifications is given;
 - (b) in the Sultanate of Oman, in respect of income arising on or after the first day of January in the calendar year immediately following that in which the latter of the notifications is given.
2. The Agreement between the Government of India and

the Government of Sultanate of Oman for the Avoidance of Double Taxation of Income derived from International Transport signed at New Delhi on 23rd October, 1984 and the exemptions granted under that Agreement will cease to have effect on the date on which this Agreement comes into force.

Article 30

TERMINATION

This Agreement shall remain in force indefinitely but either of the Contracting States may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give the other Contracting State through diplomatic channels, written notice of termination and, in such event, this Agreement shall cease to have effect:

- (a) in India, in respect of income arising in any fiscal year beginning on or after the 1st day of April next following the calendar year in which the notice is given;
- (b) in the Sultanate of Oman, in respect of income arising on or after the 1st day of January next in the calendar year immediately following that in which the notice of termination is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present Agreement.

DONE in duplicate at New Delhi, this 2nd day of April, one thousand nine hundred and ninety seven in the Arabic, Hindi and English languages, all the texts being equally authentic. In case of divergent interpretation of the texts, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA

FOR THE GOVERNMENT OF
THE SULTANATE OF OMAN

PROTOCOL

At the signing of the Agreement between the Republic of India and the Sultanate of Oman for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, both sides have agreed upon the following provision which shall be an integral part of the Agreement:

"If an air transport enterprise of India with respect to profits referred to in Article 8 is charged to any tax of the kind referred to in Article 2 in one of the shareholding States of Gulf Air, the Contracting States shall reopen negotiations without delay with a view to arriving at an appropriate solution in respect of the application of Article 8 of the Agreement."

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at New Delhi, this 2nd day of April, one thousand nine hundred ninety seven in the Arabic, Hindi and English languages, all the texts being equally authentic. In case of divergent interpretation of the texts, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA**

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE SULTANATE OF OMAN**

[F. No. 501/6/91-FTD]

N. P. SAHNI, Jt. Secy.